रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939
No. 950] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर , 2017

सा.का.नि.1445 (अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम,1989 (इसमें इसके पश्चात मूल नियम के रूप में संदर्भित) में, नियम 2(य) में, खंड (iv) में शब्दों और आंकड़ों के लिए, "यात्री वाहन के मामले में 475 किग्रा. और माल वाहनों के मामले में 550 किग्रा. का अधिकतम अनुज्ञेय कर्ब भार" शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. नियम 2(य) में, खंड (ix) के पश्चात्, स्पष्टीकरण शब्दों और आंकड़ों के लिए "खंड (iv) के प्रयोजन के लिए, कर्ब भार में (क) इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के मामले में बैटरियों का भार (ख) एकल, द्वि अथवा बहु-ईंधन वाहनों के मामले में गैसीय ईंधन भंडारण के लिए टैंक सहित गैसीय ईंधन प्रणाली का भार समाहित नहीं होता है", शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. नियम 95 में, उप-नियम (7) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अंतर्गत तदनुरूपी बीआइएस विनिर्देशनों को अधिसूचित किए जाने तक एल7, एम1 और एन1 श्रेणियों के वाहनों के लिए अतिरिक्त पहिया (स्पेयर व्हील) अथवा टायर और रन फ्लैट टायर का अस्थायी उपयोग, यदि वे वाहनों पर प्रयुक्त सामान्य टायर से भिन्न होते हैं तो, समय समय पर यथा संशोधित एआइएस:2009 के अनुरूप होंगे।

5. नियम 115 में, उप-नियम (17) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा।

"(17-ए) चौपहिया (श्रेणी एल7) के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानक (भारत स्टेज IV) निम्नानुसार होंगे:-

सारणी 1 (गैसोलिन या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) अथवा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वाले ईंजन)

	टीए=सीओपी मानदंड			ईवीएपी (ग्रा/ परीक्षण)	ओबीडी
	सीओ (ग्रा/किमी)	एचसी (ग्रा/किमी)	एनओएक्स (ग्रा/किमी)		
सीमा	2.0	0.55	0.25	< 2.0	स्टेज I
डीएफ	1.3	1.2	1.2	-	-

सारणी 1 (संपीड़ित प्रज्वलन ईंजन से युक्त)

	टीए=सीओपी मानदंड				ओबीडी
	सीओ (ग्रा/किमी)	एचसी (ग्रा/किमी)	एनओएक्स (ग्रा/किमी)	पीएम	
सीमा	1.0	0.10	0.55	0.80	स्टेज I
डीएफ	1.3	1.2	1.2	1.1	-

चौपहिया उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी) प्रणालियों से सुसज्जित होंगे जिनमें विनिर्मित वाहनों के लिए कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किए गए त्रुटि कोड के माध्यम से खराबी के संभावित क्षेत्र का पता लगाने की क्षमता होगी।

सारणी 2 (ओबीडी-स्टेज-1)

निगरानी मदें	समस्त सकारात्मक प्रज्वलन वाहन	समस्त संपीडित प्रज्वलन वाहन
ऑक्सीजन (ओ$_2$) सेंसर	√	-
गौण हवा प्रणाली, यदि उपलब्ध कराई गई	√	-
इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली	-	√

कूलेंट तापमान	√	√
ईजीआर, (एक्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन), यदि उपलब्ध कराई गई	√	√
उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियां/घटक (विस्तृत घटक)	√	√
पावर ट्रेन घटकों से संबंधित सभी उत्सर्जन के लिए सर्किट में निरंतरता	√	√
एमआइएल (खराबी दर्शाने वाले लैंप) के जलने तक तय की गई दूरी	√	√

नोट – इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि-

1. **यह परीक्षण चेसिस डायनमोमीटर पर किया जाएगा ।**

2. **परीक्षण पद्धति और ड्राइविंग साइकिल एमओआरटीच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में संशोधन 7 के अनुसार होगा । ईसीईआर 40 को कोल्ड स्टार्ट के साथ 43 किमी/घंटा की अधिकतम गति के साथ संशोधित ।**

   क. संदर्भ भार: **कर्ब भार** + 150 **किग्रा**

   ख. परीक्षण चक्रों की सं.: **छह** (6), **प्रथम चक्र वेटेज कारकों के साथ**: 30%; **शेष**: 70%)

   ग. साइकिल की खराबी: ईसीईआर 40 साइकिल को 43 किमी/घंटा की अधिकतम गति के लिए संशोधित । एमओआरटीच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के संशोधन 7 में संदर्भित ।

3. **टिकाऊपन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 के अनुसार क्षय संबंधी कारक लागू होगा ।**

   a. **बशर्ते कि वाहन विनिर्माता द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित एमओआरटीच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में विवरण के अनुसार क्षय संबंधी कारक के आकलन के लिए 80,000 किमी पुराने होने के परीक्षण हेतु चयन किया जाएगा ।**

4. (i) **इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन/सीएनजी/एलपीजी वाहन नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे ।**

   (ii) **इसमें विनिर्दिष्ट डीजल वाहन नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड** (ii) **का अनुपालन करेंगे।**

5. **उत्पादन बारंबारता (सीओपी) एवं नमूने का सुनिश्चयन ।**

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	वार्षिक उत्पादन		उत्पादन बारंबारता (सीओपी
		से	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चौपहिया	250 प्रति 6 माह	10000 प्रति वर्ष	प्रत्येक वर्ष में एक बार
2.	चौपहिया	10000 प्रति वर्ष	75000 प्रति 6 माह	प्रत्येक 6 माह में एक बार
3.	चौपहिया	75000 प्रति 6 माह	---	प्रत्येक 3 माह में एक बार

जहां 6 वर्षों में उत्पादन मात्रा वाहन के प्रकारों सहित 250 प्रति मॉडल से कम होती है, वहां नियम 126ए के परंतुक में उल्लिखित प्रावधान लागू होंगे ।

6. (i) **संपीडित प्राकृतिक गैस विधि द्वारा परिचालित वाहनों के लिए नियम 115बी.ए.**(I) **के प्रावधान लागू होंगे**;

(ii) **तरलीकृत पेट्रोलियम गैस विधि द्वारा परिचालित वाहनों के लिए नियम 115सी.**(2) **के प्रावधान लागू होंगे ।**

7. **संदर्भ/व्यावसायिक ईंधनों के विनिर्देश**:

क. संदर्भ ईंधन, गैसोलीन वाले वाहनों के लिए अनुलग्नक IV-**ञ तथा डीजल ईंजन वाले वाहनों के लिए अनुलग्नक** IV-**ट में यथाविनिर्दिष्ट ईंधन होगा तथा संपीडित प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए संदर्भ ईंधन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ईंधन होगा**;

ख. व्यावसायिक गैसोलीन और डीजल के विनिर्देश अनुलग्नक IV-**ढ और अनुलग्नक** IV-**ण में यथाविनिर्देश होंगे, गैसोलीन के लिए व्यावसायिक ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश आइएस**:2796-2008 (**संशोधन सं.** 1-**जनवरी** 2008) **के अनुसार होगा**;

ग. व्यावसायिक संपीडित प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए विनिर्देश समय-समय पर अधिसूचित किए जाएंगे ।

8. **गैसालीन द्वारा चालित वाहनों की प्रणाली के लिए क्रैंक केस वेंटीलेशन वातावरण में किन्हीं भी क्रैंक केस गैसों के उत्सर्जन की अनुमति प्रदान नहीं करेगा ।**

9. **गैसालीन द्वारा चालित वाहनों से वाष्पित उत्सर्जन** 2.0 **ग्रा/परीक्षण से अधिक नहीं होगा । परीक्षण प्रक्रिया एमओआरटीच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के संशोधन 7 में यथाविनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथा-संशोधित प्रक्रिया होगी ।**

10. **ईंजन की शक्ति को ईंजन डायनमोमीटर पर मापा जाएगा और मापी गई शक्ति समय-समय पर यथा-संशोधित एमओआरटीच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग** IV **के अध्याय 1 में विनिर्दिष्ट शक्ति के अनुरूप होगी ।**

सकारात्मक प्रज्वलन ईंजन के मामले में ईंजन की शक्ति को समय-समय पर यथा-संशोधित आइएस 14599:1999 **के प्रावधानों के अनुसरण में ईंजन डायनमोमीटर पर मापा जाएगा ।**"

6. नियम 138 **में**, **उप-नियम** (4) **में**, **खंड (क) में, परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात**:-

"बशर्ते कि वाहनों की एल7, एम1 और एन1 श्रेणियों के मामले में अस्थायी अतिरिक्त पहिया (स्पेयर व्हील) के उपयोग की अनुमति दी जाएगी तथा यदि इन वाहनों में मानक के रूप में रन फ्लैट टायर लगे होते हैं तो उपयोग करने के लिए तैयार अतिरिक्त पहिया (स्पेयर व्हील) का प्रावधान अनिवार्य नहीं होगा,;**"**

[फा. सं. आरटी-11028/11/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ.), दिनांकित 2 जून, 1989 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछले संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. _____ (अ.) दिनांकित ______ के तहत किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2017

G.S.R. 1445(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by section 110 the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport),email : js.tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (…..Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2(z), for the words and figures in the clause (iv), words and figures " Maximum permissible kerb weight of 475 kg in case of passenger vehicle and 550 kg in case of goods vehicle; " shall be substituted.

3. in rule 2(z), after clause (ix) for the words figures in the Explanation, words and figurers " For the purpose of clause (iv), kerb weight does not include (a) mass of batteries in the case of electric/ hybrid vehicles'. (b) Weight of gaseous fuel system including tanks for gaseous fuel storage in the case of mono, bi or multi-fuel vehicles. " shall be substituted.

4. in rule 95, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
" (7) Temporary use spare wheel or tyre and Run Flat Tyre for vehicles of categories L7, M1 and N1, if they are different from the normal tyre used on the vehicle shall conform to AIS 110:2009, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)."

5. in rule 115, after the sub rule (17) , the following sub-rule shall be added.

" **(17-A) Mass Emission Standards (Bharat Stage IV) for quadricycle (Category L7)**, shall be as under:-

Table 1 (fitted with gasoline or compressed natural Gas (CNG) or Liquefied Petroleum Gas (LPG) engine)

	TA=COP norms			EVAP (g/test)	OBD
	CO(g/km)	HC(g/km)	NO_X(g/km)		
Limit	2.0	0.55	0.25	< 2.0	Stage I
DF	1.3	1.2	1.2	-	-

Table 1 (fitted with compression ignition engine)

	TA=COP norms				OBD
	CO(g/km)	HC(g/km)	NO_X(g/km)	PM	
Limit	1.0	0.10	0.55	0.80	Stage I
DF	1.3	1.2	1.2	1.1	-

Quadricycle shall be equipped with On Board Diagnostic (OBD) systems for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of malfunction by means of fault codes stored in computer memory for vehicles manufactured.

Table 2 (OBD-STAGE-1)

Monitoring Items	All Positive ignition vehicles	All Compression ignition vehicles
Oxygen (O_2) sensor	√	-
Secondary Air System, if provided	√	-
Electronic fuel injection system	-	√
Coolant temperature	√	√
EGR,(Exhaust Gas Recirculation), if provided	√	√
Emission Control systems / components (Comprehensive Components)	√	√
Circuit continuity for all emission related power train components	√	√
Distance travelled since MIL (Malfunction Indicator Lamp) ON	√	√

Notes - For the purposes of this clause, it is clarified that,-

1. The test shall be on Chassis Dynamometer.

2. The test procedure and driving cycle shall be as amendment 7 to MoRTH/CMVR/TAP-115/116. Modified ECE R 40 with maximum speed to 43 km/h with cold start.

   a. Reference mass : kerb weight + 150 kg
   b. Number of test cycles: Six (6), with weightage factors first cycle: 30%; remaining: 70%)

   c. Breakdown of cycle: ECE R40 cycle modified for the maximum speed of 43km/hr. Referred in Amendment 7 of MoRTH/CMVR/TAP-115/116.

3. A deterioration factor shall be applicable as per Table 1 above for durability.

   a. Provided that the vehicle manufacturer may opt for an ageing test of 80000 kms for evaluation deterioration factor, as per described in MoRTH/CMVR/TAP-115/116, as amended from time to time.

4. (i) Gasoline/CNG/LPG vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause of sub-rule (2) of rule 115.
   (ii) Diesel vehicles specified herein shall comply with clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115.

5. Conformity of Production (COP) frequency and sampling.

Sl. No.	Type of vehicle	Annual production		COP frequency
		Exceeding	upto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Quadricycle	250 per 6 months	10000 per year	Once every year
2.	Quadricycle	10000 per year	75000 per 6 months	Once every 6 months
3.	Quadricycle	75000 per 6 months	---	Once every 3 months

   Where the production volume in six months is less than 250 per model including its variants, the provisions contained in the provisos to rule 126A shall apply.

6. (i) for vehicles operating on compressed natural gas mode, the provisions of rule 115B.A.(I) shall be applicable;
   (ii) for vehicles operating on liquefied petroleum gas mode, the provisions of rule 115C.(2) shall be applicable;

7. Specification of Reference / Commercial Fuels:

   a. the reference fuel shall be as specified in Annexure IV-J for vehicles equipped with gasoline and

Annexure IV-K for vehicles equipped with diesel engines and reference fuel for compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as available commercially;

b. the specification of commercial gasoline and diesel shall be as specified in Annexure IV-N and Annexure IV-O, commercial fuel shall be as per the Bureau of Indian Standards specification IS: 2796-2008 (Amendment No. 1-January 2008) for gasoline;

c. specification for commercial compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as notified from time to time;

8. Crank case ventilation for gasoline driven vehicles system shall not permit the emission of any of the crank case gases into the atmosphere;

9. Evaporative emission shall not be more than 2.0 g/test from Gasoline driven vehicles. The test procedure shall be as specified in Amendment 7 of MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and as amended from time to time.

10. The engine power shall be measured on engine dynamometer and the measured power shall conform to the power specified in Chapter 1 of Part IV of MoRTH/CMVR/TAP115/116 as amended from time to time.
In case of positive ignition engine, the engine power shall be measured on engine dynamometer in accordance with the provisions of IS 14599:1999 as amended from time to time. ”

6. in rule 138, in sub-rule (4), in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“ Provided that in case of L7, M1 and N1 categories of vehicles, use of temporary use spare wheel shall be permitted and the provision of ready to use spare wheel shall not be mandatory, if such vehicles are fitted with run flat tyres as standard; ”

[F. No. RT-11028/11/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.27 19:50:17 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.